



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

दिनांक

4

निविदा सूचना संख्या- 22/2024-25

ई-निविदा सूचना

ा विकास प्राधिकरण में निम्मलिखित कार्यों हेतु शासकीय/वार्व ात्सकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र

Φ,	आगरा विकास प्राधिकरण में निग्नलिखित कायी हिंतु त क्षेत्र/आगरा विकास प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकृत कार्य का नाम	मनराशि	वेदा (Open-c-Ten घरोहर घनराशि (रूपमे में)	der) आमात्रत का निविदा मूल्य (रूपये में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अमि० खण्ड
₹1.	शास्त्रीपुरम योजना ब्लॉक-बी-2 में एचआई जी. प्लॉट	(रू. लाख में) 32.39	64,800/-	1180/-	03 गाह	हॉटगिक्स प्लान्ट धारक	04
	सं—354 पर जाने वाल माग म संस्कृ नारा, इण्टरलॉकिंग टाइल्स एवं 12 मीठ रोड पर डामरीकरण		जाती है जो उर	ी दिवरा अपरान्ह	02:00 बजे	खोली जायेगी।	निविदा प्रप

हिनाक 23.01.2025 के अध्यक्त 12.30 बजे से दिनांक 06.02.2025 के अपरान्ह 1:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलेंह अपलोड की-जा सकती है। उक्त अंकित कार्य की निविदा दिनांक 06.02.2025 को आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिवस

डाउनलील / अपलोड की जा सकती है। जिस्सा में निवेदा तिथि तक निर्धारित समय से पूर्व वेबसाइट https://induscollect.indusind.com/pay/index.php से जिल्लि घरोहर घनराशि सिंदिश/शिक्य प्रतिकार नेबर के शिक्य में RTGS/NEFT के माध्यम से जगा की गयी प्ररोहर प्रनिश्चित के सूर्व है अन्यथा की दशा में निवेदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निवेदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निवेदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विचार कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित निवेदा अपलोड करने से पूर्व निवेदाता खल निवेदाल का का प्रतिकार के अपसाप निवेदाता का कोई अन्य प्रता मान्य न होगा। सशर्त निवेदा मान्य नहीं होगी। बिश्वाराशी अगियन्ता रो कर लें। गिविदा अपलोड करने के उपरान्त निवेदाताता का कोई अन्य प्रता मान्य न होगा। सशर्त निवेदा मान्य नहीं होगी। अधिकार के जे उपरान्त निवेदा सासकीय/अर्द शास्तिम श्रेत के उपकार के उपरान्त निवेदा सासकीय अर्द शास्तिम श्रेत के उपकार के अपलोड करने के उपरान्त के अपलान करने के अर्थ प्रता सरकार के जो किया प्रतान के अर्थ कर के अर्थ मान्य के स्वार्थ के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के विकार के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य करने के उपरान्त के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के स्वार्थ के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के प्रतान के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के प्रतान के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के अर्थ मान्य के स्वार्थ के अर्थ मान्य के स्वार्थ के अर्थ मान्य के स्वर्थ के अर्थ मान्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स

में (Open e-tender) प्रतिभाग करने की अनुमति प्राधिकरण हित में एतदृद्धारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि अहँ फर्म (L1) को प्राधिकरण में नियमानुसार

पंजीकरण कराना उ.निवार्य होगा। निविदादाता द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

ानावदाता द्वारा शासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध तासकाय/अद्ध निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा राकता है। इन कार्यों हेतु प्राणिकरण की आध्यता न होगी। सफत निविदादाता द्वारा निविदा की दरे शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा निविदा की दरे शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है।

निविदावाता द्वारा निविदा की दरे शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है।
निविदा की वर्ष कार्य की लागत से निम्म होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या—692/23—07—2024, दिनांक 29 अगस्त, 2024 के अनुसार वांछित प्रकारमंत्र गायन्ती अनुबन्ध से पूर्व देव होगी।
सेनी निविदादाताओं को आयकर, अम विमाग, जो.एस.टी. एवं अन्य कोई दिनाग (वहाँ कोई देवस देव हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
विद्धुत सावन्यी कार्य विद्धुत सुरुखा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशेन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिवित कार्य उ.प्र. लोक निर्माण दिभाग की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिवित कार्य उ.प्र. लोक निर्माण दिभाग की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिवित कार्य उ.प्र. लोक निर्माण दिभाग की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिवित कार्य जे हैं।
उपरोक्त कार्यों में टू. ब्रिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदाये आमंत्रित होंगी। तकनीकी ब्रिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनचिरा उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की. जा सके।

उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।

13. निविदा के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/- का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।

14. निविवादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शफ्थ-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।

समस्त प्रकार के कार्यों (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यों) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिमाग किया जा सकेगा। हि. निविदा को स्त्रीकृत/अस्यीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी

जा सकेंगी। 17. पेवर/हॉटमिवस प्लान्ट के कार्यों में केवल हॉटमिक्स प्लाण्ट धारक टेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लान्ट स्थामित्व का प्रमाण-पन्न निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।

अन्यया मानवरा विचारणाय न हामा। 18. प्लान्ट धारकों हेतु आरक्षित कार्यो हेतु निविदादाता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन.ओ.सी. सलग्न करना अनिवार्य होगा। 19. सि.चिल कार्य आगरा विकास प्राधिकरण/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।

मुख्य अभियन्ता

पत्रांक . 146 /डी/सीई/2024-25. दिनांक : 21/01/2025 प्रतिलिपि :-

1- उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

2- सचिव महोदया को सूचनार्थ।

3- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ। 4- प्रमारी आई.टी.सेल को प्राधिकरण वेबसाइट एवं ई-टेण्डरिंग साइट पर अपलोड़ कराने हेतू। 5- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को कार्य की बी.ओ.क्यू. एवं अन्य प्रपन्न समयान्तंगत ई-टेण्डरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।

6- नोटिस बोर्ड।

मुख्य अमियन्ता